श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री नेनुराम विश्नोई।

अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक:– 3/2/21

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 531 रकबा 38 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 758 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 759 रकबा 02 बिस्वा गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 760 रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा मौजा ग्राम मथानिया प्रथम तहसील तिंवरी की सरहद में आई हुई है उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश घरेलु बोलचाल का नाम जोगेन्द्रसिंह दर्ज कर दिया। लेकिन प्रार्थीगण के पिता पति का वास्तविक नाम जुगल किशोर है। प्रार्थीगण के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशऩ कार्ड, इत्यादि में प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम जुगल किशोर दर्ज है तथा जुगल किशोर के तमाम दस्तावेजों में भी नाम जुगल किशोर दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई जो सद्भाविक त्रुटि है तथा प्रार्थी अजय अमरावत के नाम के आगे नाबालिग दर्ज है जबकि अजय अमरावत की वर्तमान आयु 26 वर्ष है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 531 रकबा 38 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 758 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 759 रकबा 02 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर

सहायक कार्यालय, तिंवरी

Scanned with CamScanner

760 रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा मौजा ग्राम मथानिया प्रथम, तहसील तिंवरी में प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम जोगेन्द्रसिंह दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर वास्तविक नाम जुगल किशोर दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने तथा प्रार्थी अजय अमरावत के नाम के आगे द्रर्ज नाबालिक हटाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मथानिया प्रथम के खाता संख्या 710 व 711 के खसरा संख्या 758/5, 758/10, 758/13, 757, 758, 760, 758/1, 758/8, 758/5, 531/1, 531/2 कुल खसरे 11 में अजय अमरावत पुत्र जोगेन्द्रसिंह, सुगनकंवर पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति चारण सा. देह दर्ज है जबकि जांच करने पर पाया कि अजय अमरावत के पिता व सुगनकंवर के पति का नाम जुगल किशोर बताया गया है जो कागजात के अनुसार भी सही है। अतः इनके पिता व पति का नाम जोगेन्द्रसिंह के स्थान पर जुगलकिशोर किया जाना उचित हैं

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता, पति का सही नाम जुगलकिशोर है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व अप्रार्थी के जवाब से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मथानिया प्रथम के खाता संख्या 710 व 711 के खसरा संख्या 758/5, 758/10, 758/13, 757, 758, 760, 758/1, 758/8, 758/5, 531/1, 531/2 कुल खसरे 11 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम अजय अमरावत पुत्र जोगेन्द्रसिंह व सुगनकंवर पत्नी जोगेन्द्रसिंह के स्थान पर अजय अमरावत पुत्र जुगल किशोर व सुगनकंवर पत्नी जुगलकिशोर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 3/2/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner